MR CHAIRMAN: Please take your seat. ...(*Interruptions*)... This is enough. ...(*Interruptions*)... This is enough. ...(*Interruptions*)... Let me go through your notice, then the question will come whether I should give direction to the Government or not ...(*Interruptions*)... Not at all ...(*Interruptions*)... Kindly take your seat ...(*Interruptions*)...

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बढ़ई समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित किया जाना

*181. श्री कृपाल परमार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुछ सांसदों और वहां की विधान सभा के कुछ सदस्यों ने बार-बार राज्य के लुहारों की तरह बढ़ई समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सांसद और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के कुछ सदस्यों ने तरखान समुदाय को हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी और मंत्रालय द्वारा इसे निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत भारत के महापंजीयक के पास भेजा गया है। भारत के महापंजीयक से अभिमत प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाना संभव होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(2) के संदर्भ में संसद के अधिनियम द्वारा ही अनुसूचित जातियों की विद्यमान सूचि में संशोधन किया जा सकता है, अतएव इसके लिए निश्चित समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

Declaring Carpenters as SC

†*181. SHRI KRIPAL PARMAR: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether some MPs from Himachal Pradesh as well as some members of the State Assembly repeatedly requested for declaration of carpenters as SC as in case of black smiths of that State;

(b) if so, the details thereof, and

(c) what is the present status in this regard?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Some Members of Parliament and the Himachal Pradesh Assembly have recommended inclusion of the Tarkhan community in the list of Scheduled Castes in Himachal Pradesh.

The proposal was recommended by the Government of Himachal Pradesh and as per approved modalities, referred to by this Ministry to the Registrar General of India. After receipt of comments from the Registrar General of India, it will be possible to take further action. In view of article 341(2) of the Constitution of India, the amendment in the list of Scheduled Castes can be made only by an Act of Parliament and as such, in this regard it is not possible to assign any definite time frame.

श्री कृपाल परमार: मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि इनको सिर्फ मेरे साथ ही क्या कष्ट है हर बार.... (व्यवधान)

श्री सभापति: चलिए, आप सवाल पूछिए।

श्री कृपाल परमार: सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी इलाकों का विलय किया गया था। तरखान जाति के लोग जो लकड़ी का काम करते हैं और लुहार जो लोहे का काम करते हैं —पुराने हिमाचल में दोनों जातियां अनुसूचित जातियों में शामिल हैं लेकिन जो नया हिमाचल बना है पंजाब के कुछ इलाकों का विलय होने के बाद, उसमें लुहार तो

†Original notice of the question was received in Hindi.

अनुसूचित जातियों में शामिल हैं लेकिन जो तरखान हैं, वे उसमें शामिल नहीं हैं। एक ही परिवार के लोग दोनों काम करते हैं। एक ही परिवार में दो भाई अलग-अलग काम करते हैं। जो लोहे का काम कर रहे हैं, वे तो अनुसूचित जातियों में शामिल हैं लेकिन जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, वे अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं हैं, जबकि पूरे देश में बढ़ई, तरखान या कारपेंटर, अनुसूचित जातियों में शामिल किए गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

डा॰ सत्य नारायण जटिया: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें उन्होंने पूछा है कि बढ़ई समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित करने के संदर्भ में अभी तक क्या किया गया है और क्या इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकेगा? निश्चित रूप से यह विचार-विमर्श लंबे समय से चल रहा है। इसके लिए जो पद्धति है, उसके आधार पर ये सारी बातें महापंजीयक को भेजी जाती हैं और उनको ethnographical शोध करने के लिए कहा जाता है और अस्पृश्यता के जो दायरे हैं, वे क्या इस जाति पर समूचे प्रदेश में या किन्हीं जिलों में लागू हुए हैं, यह जानकारी प्राप्त करने के बारे में राज्य सरकार को लिखा जाता है। राज्य सरकार के पत्र-व्यवहार के आधार पर अंतिम रूप से जो पत्र-व्यवहार हमें प्राप्त हुआ है, उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे पता चलता है कि अगस्त, 2002 में केवल चम्बा जिले में इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, बाकी के जिलों में यह नहीं है। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। हम इसी प्रतीक्षा में हैं और कार्यवाही लंबित है।

श्री सभापति: रिपोर्ट आने दीजिए।

श्री कृपाल परमार: मैं यही जानकारी दे रहा हूं कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेज दी है और महापंजीयक के ऑफिस से तमाम जानकारियां केन्द्रीय सरकार को आ चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सारी जानकारियां आने के बाद अब क्या देरी है?

डा॰ सत्य नारायण जटिया: सभापति जी, जैसा मैंने बताया है कि 9 अगस्त, 2002 में जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक कांगड़ा, चम्बा, ऊना, कुल्लू, शिमला .... (व्यवधान).

श्री सभापति: आपने कमीशन को भेजा है क्या?

डा॰ सत्य नारायण जटिया: यह महापंजीयक के पास है, रजिस्ट्रार के पास है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद फिर से एस॰सी॰/एस॰टी॰ कमीशन में भेजा जाएगा और फिर सरकार को उसको प्रस्ताव के रूप में लाने के लिए कहा जाएगा।

†प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: मैं एक सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं।

[پروفیسر سیف الدین سوز: میں ایک سپلیمنٹری پوچھنا چاہتا ہوں۔]

श्री सभापति: आप जैसे विद्वान आदमी इसमें क्या सप्लीमेंटरी पूछेंगे?

Free treatment for AIDS

*162. SHRI B.J. PANDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has the second largest number of patients of HIV/AIDS;

(b) whether it is also a fact that there is growing demand from the public that Government should provide free treatment for this disease, as it is not within the reach of a patient of average means; and

(c) whether any proposal is under Government's consideration to offer free or subsidized treatment to the patients, it so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The annual sentinel surveillance conducted by NACO revealed that the estimated number of people living with HIV is upto 4.58 million in 2002.

(b) and (c) People living with HIV/AIDS experience a variety of health and social support needs as their illness progress and opportunistic infections occur. For management of such cases, Government has taken following initiatives: (i) Provision of drugs for the treatment of opportunistic infections in all public sector hospitals; (ii) Linkages with the Revised National Tuberculosis Programme for early diagnosis and treatment of HIV - TB co-infection; (iii) Provision of antiretroviral drugs for post exposure prophylaxis to health care workers in case of accidental occupational exposure; (iv) Provision of anti-retroviral

†Transliteration of Urdu Script.